न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 08/2013

उनवान

1 कालु पिता छोटू भील , निवासी लाम्बा , तहसील हुरडा ।
2 पप्पू पिता छोटू भील, निवासी लाम्बा, तहसील हुरडा ।
3 माया पुत्री छोटू भील, निवासी लाम्बा, तहसील हुरडा ।
4 श्रीमति कमला पत्नि छोटू भील, निवासी लाम्बा, तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 छोटू लाल पिता भोमा भील, निवासी गावरिया का खेडा , तह. हुरडा।
2 हीरा पिता भोमा भील, निवासी नया जोरावरपुरा, तहसील हुरडा ।
3 गोपाल पिता हजारी भील, निवासी खारी का लाम्बा, तहसील हुरडा ।
4 पप्पू पिता हजारी भील, निवासी खारी का लाम्बा, तहसील हुरडा ।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 21.06.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाके ग्राम लाम्बा की आराजी नम्बर– 1762, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774 किता 8 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादीगण नम्बर– 1 से 3 के दादा भोमा के समय की होकर आराजी नम्बर मुतदाविया पैतृक सम्पति है ।

2– सजरे की रुह से आराजी जैर बहस पैतृक सम्पति होने से वादीगण नम्बर– 1 से 3 व प्रतिवादी नम्बर– 1 की जीवित सन्तान होकर वादीया नम्बर– 4 प्रतिवादी नम्बर– 1 की छोटूलाल की विवाहिता पत्नि है ।

3– आराजी जैर बहस पैतृक सम्पति होने से वादी नम्बर– 1 में लागयत 3 प्रतिवादी नम्बर– 1 छोटू व वादी नम्बर– 4 के नुत्फे से विवाहित जीवन से उत्पन्न सन्तान है जिनका आराजी जैर बहस में पैतृक सम्पति होने से प्रतिवादी नम्बर– 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है

Scanned by CamScanner

एवं वादीगण का भी बराबर बराबर हक हिस्सा निहित चला आ रहा है ।

4– प्रतिवादी नम्बर–1 हम वादीगण 1 से लगायत 3 की माता वादीया नम्बर– 4 को घर से निकाल कर बेघर कर दिया जब से पीहर में अपनी माता के साथ रह रही है ।

5– आराजी जैर बहस पैतृक सम्पति होने से प्रतिवादी नम्बर– 1 के साथ वादीगण का भी 1/4 हक हिस्सा में समान हिस्सा होकर खाते में अकेले प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम 1/4 हिस्से से चली आ रही है ।

6– प्रतिवादी नम्बर– 1 के द्वारा वादीगण को आराजी जैर बहस के हिस्सेयाबी में से महरुम करने पर उतारु है जबकि वादीगण का भी प्रतिवादी नम्बर– 1 के 1/4 हिस्से में वादीगण का 1/8 हक हिस्सा बनता है ।

7– प्रतिवादी नम्बर– 1 को पैतृक सम्पति होने से आराजी जैर बहस में से 1/4 हिस्से की आराजी वादीगण के नाम कराये जाने हेतु बार बार निवेदन करने के उपरान्त भी वह यह न मानकर वादीगण को अपने 1/8 हक हिस्से से महरुम रखने पर उतारु है । कानूनन ऐसा करने का प्रतिवादी नम्बर– 1 को कोई हक व अधिकार नही है ।

8– वादीगण नम्बर– 1 से 3 प्रतिवादी नम्बर– 1 व वादी नम्बर– 4 के विवाहित जीवन के नुत्फे से उत्पन्न सन्तान है । इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम आराजी जैर बहस के 1/4 हिस्से में से 1/8 हिस्सा हक घोषणा के साथ अपना हिस्सा विभाजन से अलग कराये जाने के अधिकारी है । बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 05.12.2012 से पैदा हुई है जो हो रही है ।

9– प्रतिवादी नम्बर – 2, 3 व 4 का भी आराजी जैर बहस के खाते में हक हिस्सा दर्ज होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई वादीगण का विवाद नही है ।

10 न्यायालय द्वारा वादीगण का 1/8 हिस्सा आराजी जैर बहस में से अलग करते हुए हम वादीगण के नाम दर्ज नही किया गया तो प्रतिवादी नं–1 वादीगण को अपने हिस्से की आराजी से महरुम कर देगें जिसके लिए न्यायालय श्रीमान उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करे कि वह वादीगण के 1/8 वां हिस्से की जायज व कानूनी हक से महरुम नही करें व भूमि का विभजान के साथ 1/8 हिस्से की आराजी जैर बहस में वादीगण के हक घोषणा खातेदारी से कराई जाकर वादीगण के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड कराई जावें ।

11 अन्त में अंकित किया कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वाके ग्राम लाम्बा की आराजी नम्बर– 1762, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774 किता 8 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी नम्बर– 1 के 1/4 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात् 1/8 हिस्सा के

Scanned by CamScanner

लिए हक घोषणा खातेदारी वादीगण के नाम से कराई जावें ।

12 वादीगण के 1/8 हिस्से से मौके पर भूमि विभाजन किया जाकर वादीगण के नाम से अलग खातों में दर्ज रिकार्ड करवाई जावें ।

13 प्रस्तुत वाद पत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 03 व 04 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 08.10.2013 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध भी दिनांक 17.03.2015 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 6 के पैरोकारराज उपस्थित हुये जिनके द्वारा जवावदावा प्रस्तुत किया गया ।

14 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट लाम्बा में पेश हुई । वादी कालु, पप्पू भील व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । प्रतिवादी गोपाल व पप्पू भील उपस्थित हुये । उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस को सूना गया । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात है जो उनके दादा भोमा के समय की है । पैतृक सम्पति होने से वादीगण 01 से 03 व प्रतिवादी संख्या– 1 छोटू की जीवित सन्तान है । वादीया नम्बर– 4 व प्रतिवादी नम्बर– 1 छोटू लाल की विवाहिता पत्नि होने से उनका हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी नम्बर– 1 वादीगण की माता वादीया नम्बर– 4 को घर से निकाल कर बेघर कर दिया है, जब से पीहर में अपनी माता के साथ रह रही है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार घोषित किया जावें ।

15 मैनें वकील वादी का सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से है–

16 वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 मौजा लाम्बा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1762, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774 किता 8 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि भोमा पिता भज्जा भील साकिन नया जोरावरपुरा , गोपाल पिता हजारी , पप्पू ना.बा. पिता हजारी संरक्षक गोपाल भाई खुद भील साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तथा विरासत से जरिये नामान्तकरण संख्या– 1512 दिनांक 20.04.2001 भोमा के बजाय हीरा, छोटू पिता भोमा मुस्मात राधा बेवा भोमा भील साकिन गुलाबपुरा दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

17 यहॉ वादीगण का कथन है कि आराजीयात उनकी मौरुसी आराजीयात है जो उनके दादा के समय की है जिसमें उनका भी हक हिस्सा निहित है । चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात भोमा पिता भज्जा के समय की है खातेदार भोमा

Scanned by CamScanner

के दो पुत्र कमशः हीरा व छोदू है तथा राधा भोमा की पत्नि है इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में उनका 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है । वादीगण संख्या– 1 से 3 खातेदार छोदू लाल के पुत्र है जिनका भी छोदूलाल के हक हिस्से के भूमि में उनका भी समान हक हिस्सा निहित है, प्रतिवादी संख्या– 1 छोदूलाल ने भी वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया गया । कोई काउण्टर क्लेम शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किये जाकर अपनी मोन स्वीकृति जाहिर की गई है । वादीगण ने अपने वाद पत्र के कलम नम्बर– 2 में जो सजरा दर्शित किया गया है, उसमें राधा को मृतक बताया गया है किन्तु राधा की मृत्यु के बावत कोई दस्तोवज पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है । चुँकि भोमा की विरासत खोलते समय नामान्तकरण भोमा के दोनो पुत्रों व उनकी पत्नि के नाम ही खोला गया हैं । ऐसी स्थिति में दावा वादी आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी आंशिक रुप से डिक्री किया जाकर मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1762, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774 किता 8 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि के खातेदार छोदू पिता भोमा के साथ कालु, पप्पू, माया पिता छोदू भील को खातेदार घोषित किया जाता है । शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर सजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner